# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 79/2022 G.C.M.S. No. 2022/415 दर्ज दिनांक : 31.10.2022**

**अपीलार्थिगण:**

1. धन्नाराम पुत्र भग्गाजी उर्फ भग्गाराम, उम्र 65 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी बेरा भग्गाजी की राकी भादरवा बेरा उदेशी कुंआ, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह, उम्र 49 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी उदेशी कुंआ, तहसील सोजत, जिला पाली।

**बनाम**

**प्रत्यर्थिगण:**

1. बाबुलाल पुत्र गोपाराम उर्फ गोपुराम, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।
2. पूनाराम पुत्र भग्गाजी उर्फ भग्गाराम
3. अमराराम पुत्र भग्गाजी उर्फ भग्गाराम
4. बुधाराम पुत्र जोगाराम
5. बाबुलाल पुत्र जोगाराम
6. भानीबाई पत्नि स्वर्गीय जोगाराम
7. माडकी पत्नि कानाराम पुत्र जोगाराम
8. सोहन पुत्र कानाराम पुत्र जोगाराम
9. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम पुत्र जोगाराम
10. रतनलाल पुत्र कानाराम पुत्र जोगाराम, जाति सिरवी, निवासीगण बेरा भग्गाजी की राकी भादरवा बेरा उदेशी कुंआ, तहसील सोजत, जिला पाली।
11. तहसीलदार रायपुर।
12. उप–पंजीयक अधिकारी रायपुर।
13. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय पाली।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2019 बअनवान बाबूलाल बनाम पूनाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी**

**उपस्थित–**

1. श्री श्याम पंचारिया, श्री इरफान भाटी, श्री गगनपालसिंह, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

## निर्णय

**दिनांक: 28.04.2025**

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2019 बअनवान बाबूलाल बनाम पूनाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी बाबुलाल की ओर से ग्राम करमावास मालियान पटवार हल्का मोहराकलां, भू.अ.नि. रायपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 01.01 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 46 रकबा 10.10 बीघा किस्म चाही प्रथम खसरा नम्बर 47 रकबा 06.05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 48 रकबा 79.05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 50 रकबा 01.08 किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 51 रकबा 05.00 किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 102 रकबा 04.15 किस्म चाही प्रथम कुल रकबा 108.04 बीघा आयी हुई है। वादी के पिता गोपारामजी व प्रतिवादीगण के पिता भग्गारामजी सगे भाई थें व जोगा भी सगा भाई था, जो भारत की आजादी से पूर्व उदैशी कुआ, तहसील सोजत, जिला पाली जाकर बस गये, उनका ग्राम करमावास मालीयान की भूमि से कोई लेना–देना नहीं हैं, ना ही भग्गा उर्फ भग्गारामजी एवं जोगा के वंशजों का कब्जा काश्त उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर रहा है, ना ही प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार है। मिसल बन्दोबस्त के समय सेटलमेन्ट अधिकारी की भूलवश गोपाराम के भाई जोगा व भग्गा तर्फ भग्गाराम पुत्र नवलाजी के कोई कब्जा काश्त की नहीं थी, फिर भी सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना जांच किये भूलवश गलती से गोपा पुत्र नवला के साथ मगा व जोगा का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, संवत 2031 से 2034 में राजस्व अधिकारियों ने अपनी भूल का सुधार करते हुये बिना किसी आवेदन के अपने स्तर पर जांच कर जोगा पुत्र नवलाजी का नाम डिलीट कर दिया। मगा उर्फ भग्गा उर्फ भग्गाराम पुत्र नवलाजी, जाति सिरवी निवासी उदैशी कुंआ का आज से करीब 25–30 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया, जिसकी उदेशी कुआ में ही दाह संस्कार हुआ। मगा उर्फ भग्गा उर्फ भगाराम पुत्र नवलाजी का वाद के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि से कोई लेना–देना नहीं है, लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 3 ने बिना किसी हक अधिकार के राजस्व कर्मचारी पटवारी पटवार हल्का मोहरकलां से मिलीभगत कर अपने नाम नामान्तरण भरवा लिया, जिस कारण से प्रतिवादी संख्या 3 धन्नाराम दिनांक 30 जुलाई 2019 को वादी को धमकी दी कि वह अपने नाम का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचाण कर देगा तथा वादी को बर्बाद कर देगा, तब वादी ने उसका नाम निकलवाने हेतु दिनांक 11.08.2019 को निवेदन किया, तब प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना नाम निकलवाने से साफ मना कर दिया। तब वादी ने पटवारी से सम्पर्क किया, तब पटवारी ने कहा कि न्यायालय से ही इसका नाम निकलवाया जा सकता है अन्यथा नहीं, तब वादी ने वादग्रस्त भूमि की नकलें दिनांक 21.08.2019 को पूर्ण रूप से प्राप्त की। तब वादी को सेटलमेन्ट अधिकारियों की गलती के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बारे में जानकारी हुई, यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का नाम वाद के पद संख्या में वर्णित खातेदारी भूमि से नहीं हटाया जाता है तो वादी को घोर कठिनाईयों का सामना करना पडेगा, उसे अपनी भूमि से वंचित होना पडेगा तथा अपने हक अधिकारों से भी वंचित होना पडेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी तरह सम्भव नहीं होगी, इसलिये वादी अपने हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 बाबूलाल ने उपरोक्त वाद खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया कि वाद पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर नवला जी के हक, हिस्से की सम्पूर्ण जमीन का खातेदार, काश्तकार वादी को घोषित किया जावें व राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादीगण का नाम डिलीट किया जावें एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावें। उपरोक्त वाद दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दादी के पक्ष में रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध हकतर्कनामा निष्पादित किया तथा अन्य प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 व 9 व 1, 2, 5, 8, 10 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 10 रतनलाल व प्रतिवादी वादी भानीबाई, माडकी, ओमप्रकाश तथा प्रतिवादी बाबुलाल बुधाराम द्वारा लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 03.09.2019 से दिनांक 10.08.2022 तक प्रतिवादी धन्नाराम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई तथा उक्त प्रतिवादी की तामील विधिक प्रक्रिया अनुसार हुई अथवा नहीं, इसके सम्बंध में कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया, उक्त प्रकरण में वादी पक्ष की कोई साक्ष्य लिये बिना एवम् साक्ष्य के अभाव में दिनांक 10.08.2022 को ही प्रतिवादी अपीलाण्ट धन्नाराम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये उसके विरूद्ध इस आधार पर खातेदारी घोषणा की आज्ञाप्ति की गई कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवाद से बचने के लिये अपना हिस्सा जरिये हकतर्क वादी को कर अपने स्थान पर खातेदारी हक अधिकार वादी को दे दिये तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के पिता/दादा का नाम पूर्व से भूलवश दर्ज होने से रह जाने एवम् उक्त भूमि वादी की होने का राजीनामा करने से एवम् वर्तमान भूमि में केवल प्रतिवादी संख्या 3 धन्नाराम पुत्र भगा का नाम दर्ज होने से उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की निर्णय एवं डिक्री पारित की गई तथा उक्त भूमि के कब्जे व काश्त में प्रतिवादी न तो स्वयं, न ही उनके नौकर–चाकर, एजेन्ट, सगे–संबंधी, मित्र अथवा कोई भी हो, के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की गई। उक्त प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार रायपुर आवश्यक पक्षकार थें, जिनकी ओर से कोई भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ तथा रेकर्ड के अनुसार जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि रेकर्ड का संधारण राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारण किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.08.2022 से पूर्व अपीलाण्ट प्रतिवादी धन्नाराम पुत्र भगा ने अपने हिस्से की भूमि अपीलाण्ट राजेन्द्रसिंह को जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख के दिनांक 15.07.2022 को बेचाण कर दी गई। उक्त विक्रय पत्र अनुसार अपीलाण्ट राजेन्द्रसिंह के नाम नामान्तरण संख्या 1185 स्वीकृति हेतु विचाराधीन रहा, लेकिन उक्त नामान्तरण की प्रक्रिया की कोई जानकारी अधिनस्थ तहसीलदार जी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को सूचित नहीं की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्षकार अपीलाण्ट को समुचित सम्मन की तामिल कराये बिना एवम् उसकी मालिकाना खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध मात्र वादी बाबुलाल की मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा के आधार पर वाद बाबुलाल द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादी के पिता गोपाराम व प्रतिवादीगण के पिता भग्गाराम, जोगा सगे भाई थें, भग्गाराम व जोगा भारत आजादी से पूर्व उदैशी कुआ, तहसील सोजत में जाकर बस गये, उनका करमावास मालीयान की भूमि से कोई लेना–देना नहीं है, न ही उनका कब्जा काश्त है, न ही हक अधिकार है। सेटलमेन्ट में अधिकारियों की भूलवश जोगा व भग्गाराम का नाम गलत दर्ज हो गया, जिसमें संवत् 2031 से 2034 में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी भूल सुधार करते हुये जोगा पुत्र नवला जी का नाम डिलीट कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपना नाम राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर दर्ज करवा दिया, जबकि उनका कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। इस प्रकार जिन पक्षों का नाम संवत् 2031 से 2034 में डिलीट कर दिया गया, जो प्रतिवादी संख्या 4 से 10 जो वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं होते हुये मात्र न्यायालय को गुमराह करते हुये वाद प्रस्तुत किया गया तथा उनसे जबरन प्रतिवादी अपीलाण्ट के अधिकारों के विरूद्ध राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि में जोगा पुत्र नवला रेकर्ड खातेदार, काश्तकार वक्त सेटलमेंट से दर्ज था तथा खातेदारी जागीर के समय में भी दर्ज थीं तथा राजस्व अधिकारियों ने जमाबन्दी चौसाला की कार्यवाही के दौरान उक्त जोगा का नाम भूलवश छूट गया, इस कारण उक्त त्रुटि का फायदा उठाते हुये वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ मिलावट कर ली गई। इस कारण उक्त पक्षकारों के विरूद्ध कोई खातेदारी घोषणा नहीं कर मात्र प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध भेदभावनापूर्वक वाद प्रस्तुत करने से एवम् वादग्रस्त भूमि में जोगा व भग्गा व गोपाराम के साथ अन्य सहखातेदार होने से एवम् उक्त सहखातेदारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का कोई बंटवाडा नहीं होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व्यापार हेतु बेंगलुरू (कर्नाटक) में निवास करने से उनके विरूद्ध दुर्भावनापूर्वक वाद प्रस्तुत किया तथा वादी ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया कि उसका वादग्रस्त भूमि में किस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार हक अधिकार है। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होते हुये मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी घोषणा की आज्ञप्ति अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भावनापूर्वक पारित करने से ऐसे निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी बाबुलाल द्वारा प्रतिवादी पुनाराम, अमराराम पुत्र भग्गा जी से अपने नाम का रजिस्टर्ड एवं पंजीबद्ध हकतर्कनामा दस्तावेज निष्पादित करवाया गया। उक्त हकतर्कनामा दस्तावेज में लिखित वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी भी स्वीकृत साक्ष्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर नहीं लिया गया, मात्र निर्णय एवं डिक्री में यह उल्लेख किया गया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने हिसे की भूमि वादी को हकतर्क कर दी गई, जबकि हकतर्कनामा दस्तावेज में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। उक्त भूमि में उनका हिस्सा व कब्जा काश्त, मालिकाना अधिकार है तथा प्रथम पक्ष ने उपरोक्त खसरान में से अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग अपने चचेरे भाई के हिस्से की अभिवृद्धि करने हेतु बिना प्रतिफल के दिनांक 21.05.2019 को हकतर्क कर दी। उक्त दोनों हकतर्कनामा दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा व काश्त निरन्तर चला आ रहा है। उक्त बादी बाबुलाल ने मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पुनाराम व अमराराम से उनके हिस्से की भूमि खरीद कर तथा बनावटी अपने नाम का हकतर्कनामा बनाकर मात्र अपीलाण्ट धन्नाराम गरीब काश्तकार की भूमि को हडपने हेतु षडयंत्र रचा तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों हकतर्कनामा दस्तावेज का अवलोकन किये बिना एवम् वादी की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं होते हुये मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी अपीलाण्ट की भूमि में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त भूमि में करीब 14 खातेदार सहखातेदारान है। जिनका आपसी कोई विभाजन नहीं हो रखा है, जो संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि है। ऐसी अविभाजित कृषि भूमि में सहखातेदारों को खातेदारी घोषणा के वाद में व आवश्यक पक्षकार होते हुये उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। इस कारण आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी वादीगण का वाद खारिज योग्य है। इसके साथ ही खातेदारी घोषणा के अधिकार मात्र 63 (4) आर.टी. एक्ट व एडवर्स पजेशन के आधार पर ही प्रदान किये जाने योग्य है तथा सेटलमेंट की कार्यवाही संवत् 2013–2014 में हुई थीं, उक्त अवधि से लेकर वाद प्रस्तुति दिनांक 26.08.2019 तक वादी व उसके पिता द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इसके सम्बंध में कोई सुसंगत साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किये, न ही वाद में कथन किये। इस कारण खातेदारी घोषणा हेतु वादी द्वारा कोई वाद में कथन नहीं होते हुये एवम् निर्णय व डिक्री से पूर्व प्रतिवादी के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं होते हुये मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित की गई। ग्राम करमावास मालीयान से ग्राम उदैसी कुआ जो मात्र 11–12 कि.मी. दूर पडता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

तथा कोई काश्तकार दूसरे गांव में स्थित भूमि पर निवास करने से उसके कोई खातेदारी अधिकार दूसरे गांव में होने से उसे कतई निरस्त नहीं किये जा सकते। इस प्रकार वादी द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया। इस कारण निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट व अन्य सहखातेदारों का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा अविभाजित भूमि है। उक्त भूमि पर वादी बाबुलाल का व उसके पिता गोपाराम अकेले का ही कब्जाकाश्त रहा हो, ऐसी कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में पेश नहीं हुई तथा अन्य सहखातेदारों के पंजीबद्ध दस्तावेज की साक्ष्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अवलोकन किये मात्र मौखिक कथनों के आधार पर अपीलाधिन निर्णय एवं डिक्री मात्र अपीलाण्ट सहखातेदार धन्नाराम को उसकी खातेदारी भूमि के अधिकारों से वंचित करने हेतु पारित की, जो जैर अपील निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की सरासर अवहेलना करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपीलांट राजेन्द्रसिंह को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट संख्या 1 व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत की, जोकि 10 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत हुई हैं। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 11.10.2022 को प्राप्त की। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

2. चूंकि विलंबकाल दीर्घ विलंब नहीं होकर 10 दिवस का अल्प विलंब है तथा हमारे विनम्र मत में विलंबकाल अपीलांट की लापरवाही से कारित नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपीलांट संख्या 2 राजेन्द्रसिंह की ओर से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 से पूर्व ही दिनांक 15.07.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख से प्रतिवादी अपीलांट धन्नाराम से संपूर्ण हक हिस्सा क्रय कर लिया गया था। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित व्यक्ति है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट संख्या 1 के विरूद्ध पारित की गई हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पूर्व अपीलांट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी पंजीकृत विक्रय–विलेख से अपीलांट संख्या 2 को विक्रय की गई हैं तथा अपीलांट संख्या 2 अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं। चूंकि अपीलांट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा अपीलांट संख्या 2 के हित अपीलांट संख्या 1 से ही हस्तांतरित/प्राप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट संख्या 2 भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट संख्या 1 के समान ही प्रभावित, पीड़ित व हितबद्ध व्यक्ति है। अतः अपीलांट संख्या 2 को भी सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट संख्या 2 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट संख्या 1 वादी बाबुलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह दावा किया कि वादी के पिता गोपाराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता भगाराम एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 10 के पिता व पति जोगाराम सगे भाई थें। जोगा व भगा भारत आजादी से पूर्व उदेशी कुंआ तहसील सोजत जाकर बस गए। उनका ग्राम करमावास की भूमि से कोई लेना–देना नहीं रहा तथा न ही भगा व जोगा के वंशजों का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जाकाश्त रहा। मिसल बंदोबस्त के समय सेटलमेंट अधिकारियों की भूल से गोपा के भाई भगा व जोगा का नाम भी वादग्रस्त आराजी में दर्ज कर दिया गया। संवत 2031 से 34 में राजस्व अधिकारियों ने अपनी भूल सुधार करते हुए बिना किसी आवेदन के अपने स्तर पर जांच कर जोगा पुत्र नवलाजी का नाम डिलीट कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिया। अतः वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर नवलाजी के हिस्से की संपूर्ण भूमि का खातेदार–काश्तकार वादी को घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। इस प्रकार वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अनुतोष की मांग की गई।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादपत्र राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा स्वीकार कर अपीलांट संख्या 1 का नाम वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख से विलोपित कर जिसके स्थान पर वादी को खातेदार–काश्तकार घोषित किया गया।

7. चूंकि वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध ही अनुतोष की मांग की गई थीं। अतः शेष रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनावश्यक व अर्थहीन है।

8. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वादपत्र स्वीकार किया गया। लेकिन उनके द्वारा पूर्व में ही हकतर्क किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता।

9. वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वांछित अनुतोष मुख्य रूप से अपीलांट संख्या 1 प्रतिवादी धन्नाराम के विरूद्ध था। धन्नाराम की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही राजीनामा प्रस्तुत किया गया। बल्कि धन्नाराम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ऐसी स्थिति में वादी व अधीनस्थ न्यायालय की यह आज्ञापक जिम्मेदारी थीं कि प्रकरण में वादी साक्ष्य ली जायें। प्रकरण में वादी के अनुपस्थित हो जाने मात्र से वादी का वादपत्र साबित नहीं माना जा सकता। वादी की यह जिम्मेदारी होती हैं कि वह वादपत्र में वांछित अनुतोष व दावा को साक्ष्य से भली–भांति साबित करें। लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कभी साक्ष्य वादी में नियत किया गया। अतः साक्ष्य के अभाव में मात्र शेष प्रतिवादीगण जिनके विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया, के राजीनामा के आधार पर वादपत्र साबित नहीं माना जा सकता। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं होने व आज्ञापक विधिक प्रावधानों के अनुपालन के अभाव में पारित होने से त्रुटिपूर्ण है। जिसका समर्थन व पुष्टि किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2019 बअनवान बाबूलाल बनाम पूनाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट संख्या 2 को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए अपीलांट्स को विधिक प्रावधानानुसार जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.05.2025 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। वादपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात वादग्रस्त आराजी की अभिलेखीय स्थिति में हुए समस्त परिवर्तन एवं अंतरण आदि वाद के अंतिम विनिश्चय व विनिर्णय से आच्छादित व प्रभावाधीन रहेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner